कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)

//निविदा विज्ञप्ति//

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय अशोकनगर में वाहन स्टैण्ड का संचालन किया जाना है।

अतः इस विज्ञप्ति की निविदा शर्तों के अधीन जो संस्था या व्यक्ति जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर में वाहन स्टैण्ड का संचालन करना चाहता है, वह निविदायें कार्यालयीन समय प्रातः 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय अशोकनगर के पास अमानत राशि रू. 5000/- (अक्षरी पॉच हजार रूपये मात्र) नगद अथवा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा किये जा सकते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक 17/03/2025 सायं 05:00 बजे तक रहेगी। निविदा दिनांक 18/03/2025 को सायं 05:00 बजे खोली जावेगी, जिसमें निविदाकर्ता उपस्थित रह सकते हैं। निविदा आमंत्रण संबंधी विज्ञप्ति एवं शर्तें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in/tenders एवं जिला न्यायालय अशोकनगर की आधिकारिक वेबसाईट ***https://ashoknagar.dcourts.gov.in*** पर देखी जा सकती हैं। अंतिम निर्णय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर का रहेगा।

17/03/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)

।। निर्धारित शर्तें ।।

1— निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद लिफाफे में दिनांक 17/03/2025 सायं 05:00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

2— निविदाकर्ता को निविदा के साथ रू. 5000/— (अक्षरी पॉच हजार रूपये मात्र) को अमानत राशि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अथवा नगद नजारत अनुभाग जिला न्यायालय अशोकनगर में जमा करना होगी। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ता को उक्त अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नगद राशि वापस लौटाया जायेगा, किन्तु सफल निविदाकर्ता की उक्त राशि अमानत के रूप में, निविदाकर्ता और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर के संयुक्त नाम से बैंक एफ.डी.आर. तैयार कर प्रस्तुत करना होगी, जो निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का किसी भी रूप में उल्लंघन किये जाने पर समिति द्वारा लिये गये निर्णय व दिये गये प्रतिवेदन अनुसार राजसात की जा सकेगी।

3— प्रथम पक्ष वर्ष 2025—26 में दिनांक (01.04.2025 से 31.03.2026) जिला न्यायालय परिसर अशोकनगर स्थित वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु राशि रूपये 40000/— (अक्षरी चालीस हजार रूपये मात्र) की न्यूनतम बोली प्रस्तावित की जाती है।

4— जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली होगी, वह अंतिम रूप से मान्य होगी, उस निविदाकर्ता के साथ वाहन स्टैण्ड का संचालन एक वर्ष की अवधि के लिए दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध सम्पादित किया जावेगा। वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन स्टैण्ड के संचालन हेतु अनंतिम बोली की राशि में कम से कम 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि जमा किये जाने पर सहमत होने पर अनुबंध में एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी। इस हेतु निविदाकर्ता को अनुबंध समाप्ति के दिनांक से एक माह पूर्व आवेदन—पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन स्वीकार करने/अस्वीकार करने का अधिकार समिति को होगा। अनुज्ञा शुल्क की राशि उपरोक्त उल्लेखित अनुसार ही प्रथम पक्ष को अदा करना होगी।

5— जिस निविदाकर्ता की अधिकतम बोली अंतिम रूप से मान्य होगी, उसे निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व बोली की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि अनुबंध दिनांक से ठीक तीन माह के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार समिति को होगा।

6– सफल निविदाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ.डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर निविदाकर्ता को वापिस की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, परन्तु सावधि पर अर्जित बैंक ब्याज निविदाकर्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

7– अनुबंध की शर्तों का निविदाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के वाहन स्टैण्ड अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि को शासन हित में राजसात किया जा सकेगा, जिस संबंध में कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

8– माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के आदेशानुसार या प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा अनुज्ञा शर्तों में कभी भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिसका निविदाकर्ता को पालन करना अनिवार्य होगा।

09– वाहन स्टैण्ड के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा किया जावेगा। जिसका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

10– निविदाकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय सम्पत्ति व न्यायालय की गरिमा को क्षति कारित हो, अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

11– निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड संचालन के दौरान प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधिविरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा निविदाकर्ता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

12– निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर द्वितीय पक्ष के द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार करेगा तथा लोक अदालत आदि विशेष अवसरों पर वाहन स्टेण्ड का आवश्यक रूप से संचालन किया जायेगा।

13– निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड के संचालन के दौरान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण/संरचना नहीं करेगा। निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टैण्ड संचालन में ऐसा अस्थायी निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, पूर्व में प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करने वाला न हो, किन्हीं कारणों से यदि द्वितीय पक्ष अस्थायी निर्माण को हटाने का आदेश देगा तो प्रथम पक्ष अपने अस्थायी निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटायेगा।

14– निविदाकर्ता वाहन स्टैण्ड तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा। किसी भी प्रकार का प्रदूषण चाहे वह ध्वनि प्रदूषण ही क्यों न हो, नहीं करेगा। अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिदिवस रू. 100/– की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

15– निविदाकर्ता वाहनों को सुव्यवस्थित रूप से रखेगा जिससे पक्षकारगण तथा अन्य वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान न हो तथा सार्वजनिक या अन्य मार्ग पर वाहन पार्किंग न तो स्वयं करेगा न अन्य को करने देगा।

16– सामान्यतः प्रथम पक्ष/निविदाकर्ता दोपहिया वाहन/चार पहिया वाहन के लिये अधिकतम निम्नानुसार पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा :–

1. साईकिल – दो रूपये प्रतिदिन
2. मोटर साइकिल/स्कूटर – पांच रूपये प्रतिदिन
3. चार पहिया वाहन एवं अन्य – दस रूपये प्रतिदिन

17– अधिवक्तागण से दो पहिया वाहन हेतु पचास रूपये प्रतिमाह एवं चार पहिया वाहन हेतु एक सौ पचास रूपये प्रतिमाह पार्किंग शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

किन्तु न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण को वाहन स्थानक (स्टैण्ड) पर अपने वाहनों को निःशुल्क रखने की पात्रता होगी।

किन्तु यह भी कि प्रथम पक्ष/निविदाकर्ता अनुमोदित पार्किंग शुल्क की दरों को स्वयं के व्यय पर सहज दृश्य भागों पर प्रदर्शित करना होगा।

18– निविदाकर्ता, वाहन स्वामियों से सभ्यतापूर्वक व्यवहार करेगा एवं वाहन पार्किंग करने पर उन्हें टोकन प्रदाय करना अनिवार्य होगा साथ ही वाहनों की सुरक्षा (चोरी चले जाने/क्षतिग्रस्त होने) का दायित्व भी प्रथम पक्ष/निविदाकर्ता का ही रहेगा।

19– निविदाकर्ता वाहन स्थानक (स्टैण्ड) के संचालन के लिये किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कर्मचारी को नियोजित नहीं करेगा तथा नियोजित कर्मचारियों की सूची रजिस्ट्रार जिला न्यायालय, अशोकनगर से अनुमोदित करायी जायेगी तथा प्रथम पक्ष अपने कर्मचारियों को पहचानपत्र जारी करेगा जो उसे धारण करना होगा।

20– निविदाकर्ता अनावश्यक रूप से स्टैण्ड बंद नहीं रखेगा अन्यथा द्वितीय पक्ष के द्वारा रू. 500/– प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

21– स्टैण्ड के संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में द्वितीय पक्ष का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

22– जिला न्यायालय परिसर, अशोकनगर में स्थित स्टैण्ड परिसर यथावत स्थिति में प्रथन पक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा।

23– वाहन स्टैण्ड प्रधान जिला न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा अनुमोदित समय, सामान्यतः प्रातः 09:30 बजे से सायंकाल 06:00 बजे तक ही चलाया जावेगा तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का निविदाकर्ता को पूर्ण पालन करना होगा।

24– निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (यदि कोई हो तो) प्रस्तुत किये जायेंगे, उक्त अनुभव आदि को समिति द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

25– सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी स्वयं के व्यय से निष्पादन किया जावेगा।

26– द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंधकर्ता अथवा उसके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण जो कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तों का उल्लंघन करने/विवाद करने वाले या अभिभाषक/न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले हों, ऐसी स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

26– कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर को यह अधिकार रहेगा कि वह निविदा की घोषित की गई शर्तों में से किसी शर्त को परिवर्तित/परिवर्धित अथवा रद्द कर सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर (म0प्र0)